न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 326/2017(2017/00303)
गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री चडत सिंह जाति जटसिख निवासी भागसर, तहसील व जिला मुक्तसर, साहिब, (पंजाब) —अपीलांट

बनाम

1. अंग्रेज सिंह पुत्र. श्री मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी भागसर तहसील व जिला मुक्तसर साहिब हाल आबाद वार्ड नम्बर 11, डबलीराठान कुतुबबास तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. सुरजीत कौर पुत्री मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी करणीसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. परमजीत कौर पुत्री चडत सिह पत्नी गुरलाल सिंह जाति जटसिख निवासी मीनवाली तहसील जलालाबाद, जिला फाजिल्का (पंजाब)
4. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरुद्ध निर्णय दिनांक 13.07.2017, प्र. सं. 124/2014
अनुवान अंग्रेज सिंह बनाम सुरजीत कौर आदि
द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ।

उपस्थितः—
श्री इन्द्राज गोदारा अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री बलवीर सिंह अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
सुश्री गोयत्री वर्मा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 3
श्री रविन्द्र कुमार भोभिया राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 4

निर्णय दिनांक 23.05.22

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:50 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता मुखत्यार सिंह के नाम चक 1 डब्लूएल —ए— खाता संख्या 2/6 की कुल 2.530 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिसकी दिनांक 01.11.2012 को वसीयत करवाई गई जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई। मुखत्यार सिंह की मृत्यु के उपरान्त उपरोक्त भूमि का घराघरू बंटवारा हुआ। अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी का हक मारने की गर्ज से अप्रार्थी संख्या 1 के साथ

अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

साजिश कर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाया और अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 से भूमि का हकत्याग विलेख अपने पक्ष में निष्पादित करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया। प्रार्थी द्वारा घराघरू बंटवारा में अपने को प्रापत भूमि का काफी मेहनत व खर्चे से सुधार किया है प्रार्थी को घराघरू बंटवारा में प्राप्त चक 1 डबीएल –ए– के पत्थर नम्बर 86/279 मुरब्बा नं. 14 के किला नं0 2, 9, 12, 19, 22 में प्रार्थी के आधिपत्य व धारण में है अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 दखलंदाजी कर रहे हें। प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने दिनांक17.06.2014 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की एवं दिनांक 13.07.2017 को अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि विचारण न्यायालय के समक्ष जैरकार प्रार्थना–पत्र बिना किसी प्रकार की सूचना दिये दिनांक 13.07.2017 को पत्रावली पेशी में लेकर एकपक्षीय आदेश पारित किया है। आदेश अपीलाण्ट को सुने बिना दिया गया है। पत्रावली रेस्पोडेण्ट संख्या 3 व 4 के तथा रेस्पो0 सं0 2 के जवाब हेतु मुकर्रर थी। विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट की तलबी किये बिना ही अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जबकि किसी भी पक्षकार के विरूद्ध आदेश पारित करने से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अपीलांट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के मध्य दिनांक 09.05. 2013 को स्टाम्प पर घराघरू बंटवारे का मेमोरेण्डम ऑफ फेमिली सैटलमेंट रोबरू गवाहान पंचायत के मौजित व्यक्तियों द्वारा करवाया गया। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा पढ सुन समझ कर सही मानते हुए रोबरू गवाहान अपने हस्ताक्षर किये तथा मेमोरेण्डम के अनुसार ही अपीलाण्ट वे रेस्पोडेण्ट संख्या 1 घोषणा पाने के अधिकारी हैं। इन तथ्यों को छुपाकर अदालत को गुमराह करने की नियत से मेमोरेण्डम ऑफ फेमिली सैटलमेन्ट के तथ्य को छुपाया गया है और अपीलाण्ट को सुने बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस सं0 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन भिजवाये गये थे मगर वे उपस्थित नहीं आये। इस पर विचारण न्यायालय ने विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जमाबन्दी में दर्ज [illegible] पारित किया गया है। हक अधिकारों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय में वि[illegible]द में तय होना है। भूमि को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। स[illegible]कौर ने अ[illegible] हिस्सा छोड़ दिया हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। पंचाय[illegible] स्टाम्प पर है जो मान्य नहीं है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में हिन्दू विधि की धारा 6 पेज 372एआईआर 1973 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:50 IST
Reason: SelfAttested

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत धारा 212 आरटीएक्ट के प्रार्थना–पत्र पर दिनांक 17.06.2014 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जो दिनांक 13.07.2017 को ताफैसला कन्फर्म की गई है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 10.04.2017 के अनुसार पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना–पत्र रखी गई थी। दिनांक 10.05.2017 को पत्रावली में आगामी दिनांक 12.07.2017 नियत की गई। दिनांक 12.07.2017 को पत्रावली में पेशी में नहीं ली गई बल्कि दिनांक 13.07.2017 को पत्रावली को पेशी में लेकर अपीलाधीन आदेश को ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया गया है। किसी पक्षकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था जो नहीं दिया गया है। इस प्रकार प्रकरण में अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो प्रकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2017 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, हनुमानगढ को भिजवाई जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.5.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/5/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:35:50 IST
Reason: SelfAttested